मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी, 2003 (माघ 22, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेखः-

(1) डॉ. मल्लिकार्जुन, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री;
(2) श्री राधाचरण शर्मा, भूतपूर्व संसद सदस्य;
(3) श्री शिशुपाल शाह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा;
(4) श्रीमती प्रतिभा दत्ता, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा;
(5) श्री सरदारमल ललवानी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा;
(6) श्री विष्णुदत्त पौराणिक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा;
(7) श्री परसराम धुर्वे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा;
(8) डॉ. नानी अर्देशीर पालखीवाला, प्रख्यात कानूनविद् एवं अर्थशास्त्री;
(9) डॉ. हरिवंश राय बच्चन, सुप्रसिद्ध कवि;
(10) डॉ. कल्पना चावला, अंतरिक्ष यात्री ; तथा
(11) देश एवं प्रदेश में हुई विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत व्यक्ति.

2. प्रश्नोत्तर

निधन उल्लेख के बाद कार्यवाही स्थगित.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, श्री जी. जगतपति, भूतपूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्रों में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति मध्यप्रदेश का -

(क) नगर निगम भोपाल द्वारा मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 के मध्य 4000 वर्गफुट भूमि आवंटन करने के संबंध में जांच प्रतिवेदन,

(ख) प्रतिवेदन क्रमांक एम. सी.-5, भोपाल नगर निगम द्वारा 4000 वर्गफुट क्षेत्रफल के दो भू-खण्डों का आवंटन का जांच प्रतिवेदन,

(ग) ग्वालियर नगर निगम द्वारा वर्ष मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 के मध्य आवंटित भूमि का जांच प्रतिवेदन,

(घ) रपट नं. डी-iv भोपाल विकास प्राधिकरण; तथा

(ङ) प्रतिवेदन क्रमांक सैंतीस, सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित एवं मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित द्वारा पटवारी हल्का क्रमांक 39, ग्राम दामखेड़ा वीरान (कोलार रोड) में प्रस्तावित आवासीय योजना की भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री वीरसिंह रघुवंशी, विधि और विधायी कार्य मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 की धारा 29 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5722 -इक्कीस-ब (दो), दिनांक 6 अगस्त, 2002 एवं क्रमांक 5932-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 23 सितम्बर, 2002, शुद्धि पत्र ; तथा

(ख) विधिक सेवा अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई) -8-2002-इक्कीस- ब (दो), दिनांक 13 सितम्बर, 2002, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 47 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

- 2-

(4) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619- क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड की 40 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) की धारा 11 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-46-98-दस-2, दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 पटल पर रखेंगे.

(6) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 45 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.5-46-2002 - पचपन-चिशि-1, दिनांक 18 अक्टूबर, 2002 पटल पर रखेंगी.

(7) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

4. नवम्बर, 2002 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन नवम्बर, 2002 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लालसिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के बेसली बांध में बरसात का पानी रोके जाने से कृषकों की डूब में आई भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के सोहागपुर पिपरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नेत्र शिविर के दौरान अनेक व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा.

डॉ.ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 फरवरी, 2003